फर्द अहकाम

रतन बनाम सरकार व अन्य

पत्र संख्या: 58/2020

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.03.2023	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण वादअधीन भूमि खसरा नम्बर 555/1190, 555/1023 वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर के संबंध में घोषणा का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में भी वादी द्वारा एक अन्य वाद सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त वाद का वाद संख्या 324/2016 बउनवानी रामनिवास बनाम सरकार दर्ज रजिस्टर किया गया था, जो माननीय सहायक कलक्टर आमेर द्वारा दिनांक 16/5/2018 को वादी का बाद खारिज फरमा दिया एवं उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील वाद सख्या 33/2020 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 20/7/2020 को निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय के पूर्व वाद के निर्णय को छुपाते हुये उपरोक्त उनवानी वाद प्रस्तुत किया है जो पूर्व वाद के निस्तारित हो जाने के कारण रेज्यूडिकटा के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। यह कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब समान विषयवस्तु के संबंध में वाद न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया हो तो उसी बिन्दू के आधार पर नया वाद प्रस्तुत करना बार्ड बाई लॉ एवं स्टोप्ल के नियम के आधार पर धारा 11 सी०पी०सी० के तहत खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद रेसज्यूडिकेटा/बार्ड बाई लौं होने के कारण धारा 11 सी०पी०सी० के प्रावधानो के तहत सव्यय खारिज किये जानें का आदेश फरमाया जावे। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद हाल भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर वादीगण की खातेदारी को सवाईचक व सवाई चक को वादी की खातेदारी में दर्शा दिया गया जिसे दुरुस्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व वाद की सत्यप्रति प्रस्तुत नही की गई है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पूर्व में प्रस्तुत वाद रामनिवास बनाम सरकार खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत विरुद्ध राज्य सरकार था। उक्त बाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 20-07-2020 को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है न कि वाद पत्र खारिज किया गया है। इस प्रकार इस	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2023.07.06 11:56:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

रतन बनाम सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या: 58/2020

मद में वर्णित वाद पत्र का अन्तिम निर्णय नही हुआ है जो रेस्ज्यूडिकेटा की परिभाषा में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि इस भूमि के संबंध में पूर्व में एक अन्य वाद रामनिवास बनाम सरकार का निस्तारण किया जा चुका है और इस निर्णय को माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 16.05.2018 उनवानी रामनिवास बनाम सरकार निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया किया कि पक्षकारान को वाद में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर वाद बिन्दुओं अनुसार विवेचानात्मक वाद का निस्तारण किया जावें। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में विचाराधीन है। वादी द्वारा उक्त के विचाराधीन रहते हुए एक नया वाद पेश किया है पूर्व में विचाराधीन वाद एवं उक्त वाद समान प्रकृति के है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा यह वाद पश्चावर्ती वाद है इसलिए उक्त वाद का चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमे
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2023.07.06 11:56:27 IST
Reason: SelfAttested